मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 66 | नवम्बर, 2021 | अंक 11 | कुल पृष्ठ 8

"भविष्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य" कार्यशाला
27 – 30 अगस्त 2021, बैंगलोर (कर्णाटक)

भारत कृषक समाज और सोक्रेटस फाउंडेशन फॉर कलेक्टिव विजडम ने भविष्य के लिए एमएसपी की कल्पना करने के लिए चार दिनों के कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 24 प्रभावशाली हितधारकों के एक चुनिंदा समूह ने भाग लिया। प्रतिभागियों को सभी दृष्टिकोणों और हितधारकों (शिक्षा, केंद्र और राज्य सरकारों, नागरिक समाज, किसान संघों, कृषि व्यवसाय, मीडिया और राजनीतिक प्रतिनिधियों) का प्रतिनिधित्व करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था।

दृष्टिकोण – श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह, डिप्टी चीफ आफ नेशनल ब्यूरो, दैनिक जागरण (प्रतिभागि)

एमएसपी इन फ्यूचर ? वर्तमान पर रार

एमएसपी की चर्चा वे लोग भी करते हैं, जिन्होंने न खेत देखा न खेती और न ही खेतिहर। सरकारें भी कृषि क्षेत्र को टुकड़े–टुकड़े में ही देखती रही हैं। कृषि क्षेत्र को व्यापकता में कभी देखने की कोशिश नहीं की गई। किसान भी सिर्फ उसे कहा जा रहा है, जिनके नाम जमीन है। वह खेती करे या न करे। बात सिर्फ एमएसपी की हो रही है, वह भी खरीद की गारंटी के साथ। भविष्य की एमएसपी कैसी हो? इस चर्चा से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह आई कहां से और किसके लिए थी। कोई 55 साल पहले एफसीआई के गठन के साथ एमएसपी की शुरुआत हुई थी जो आज भी जारी है। देश की भुखमरी खत्म करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का उपयोग किसानों से गेहूं व चावल लेवी के तौर पर किया जाता था। खुले बाजार में अनाज का मूल्य अधिक था और लेवी वाला मूल्य यानी एमएसपी कम होती थी। किसान इस मूल्य पर अनाज देने को राजी नहीं होते थे। लेकिन गेहूं की खेती के रकबा के हिसाब से किसानों को गेहूं देना पड़ता था। सार्वजनिक राशन प्रणाली (पीडीएस) पर गरीबों को रियायती दर पर अनाज बांटने की कुछ जिम्मेदारी किसानों को भी उठानी पड़ती थी।

उसी दौरान हरितक्रांति की लौ से कृषि जगत जगमगाने लगा। चौतरफा किसान अन्य सभी फसलों की खेती छोड़ बौनी किस्म का अधिक पैदावार देने वाले गेहूं व धान की खेती करनी शुरु कर दी। बदलती परिस्थितियों के बीच बाजार में इन दोनों अनाज (गेहूं व चालल) की बहुतायत का नतीजा यह हुआ कि इनकी कीमतें घटने लगीं। खुले बाजार के मुकाबले एमएसपी अधिक हो गई। किसान सरकारी खरीद केंद्रों की ओर

मुड़ने लगा। राज्यों के बीच भी सरकारी खरीद बढ़ाने की होड़ लग गई।

गेहूं–चावल के साथ खेती एकांगी होती गई और बाकी फसलें गौड़। खेती–बाड़ी से बाड़ी बाहर हो गई। एमएसपी राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन गई। चुनावों के पहले एमएसपी के रास्ते किसानों को लुभाने की कोशिश होती रही है। देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के संतुलित प्रबंधन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि गोदामों के साथ सबका पेट भरने के बावजूद भारत दुनिया के 107 देशों के हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर है। आजादी के 75वें साल में हम पोषण अभियान चलाने के लिए फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन वाले अनाज के साथ अन्य प्रोटीन का उत्पादन् बढ़ाने के लिए कभी कोई प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया। जिस एमएसपी के रास्ते गेहूं व चावल का उत्पादन 30 करोड़ से अधिक पहुंचा दिया गया, उसका उपयोग गैर अनाज वाली फसलों पर नहीं किया गया।

एमएसपी की ईजाद करने वाले एलके झा कमेटी की सिफारिशों पर पूरी तरह कभी गौर नहीं किया गया। उनकी रिपोर्ट में ही कहा गया है 'डेफिसिट फूडग्रेन इकोनॉमी के लिए एमएसपी वरदान साबित होगी, जबकि सरप्लस फूडग्रेन इकोनॉमी में यह डिसॉस्टर हो सकती है।' अब समय आ गया है जब देश में खाद्यान्न का भारी उत्पादन हो रहा है। गोदाम भरे पड़े हैं। निर्धारित बफर और पीडीए के लिए आवश्यक स्टॉक के मुकाबले बहुत अधिक अनाज है। देश की 80 करोड़ से अधिक आबादी को मुफ्त में अनाज वितरित किया जा रहा है। जरूरत मांग आधारित खेती की है। अनाज की जगह अन्य तिलहनी और दलहनी फसलों की खेती पर जोर देने की जरूरत है। इसी तरह की फसलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र में वैसे तो 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा गन्ना, गेहूं व धान के किसानों को प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा बागवानी, डेयरी, पशुधन और मत्स्य व पॉल्ट्री किसानों को इसका लाभ कभी नहीं मिला। जबकि इनमें लगे किसान छोटे अथवा मझोले किस्म के हैं। बिना किसी सरकारी समर्थन यानी न एमएसपी और न ही अन्य किसी तरह की सरकारी मदद के बगैर इसके किसान सुखी हैं। उनकी उपज को बेचने के लिए न बाजार की कमी है और न ही सरकारी समर्थन की जरूरत। उन्होंने बाजार की मांग को समझा, परखा और उसी के अनुकूल उत्पादन किया। लिहाजा वे फायदे में रहे। जिन किसानों को मुफ्त बिजली, रियायती दर पर खाद, रियायती कृषि ऋण और उपज बिक्री के लिए एमएसपी का निर्धारण जैसी सरकारी मदद प्राप्त होती रही वे आज भी सरकार के भरोसे खेती करते हैं। और अब तो एमएसपी के कानूनी हक और खरीद की गारंटी जैसी मांग को लेकर पिछले एक साल से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं।

अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगलौर में 'एमएसपी इन फ्यूचर' विषय पर कृषि विशेषज्ञों, ब्यूरोक्रेट्स, नीति निर्धारक, किसान प्रतिनिधि और इस विषय में दखल रखने वाले जिंस बाजार के जानकारों के साथ विशेष विमर्श किया गया। इस दौरान सभी ने एमएसपी के मौजूदा स्वरुप को नकारते हुए कई तरह के विकल्प सुझाए गए। इसमें सबने माना कि किसानों की आर्थिक मदद होनी चाहिए, वह पीएम–किसान योजना से नगदी की मदद हो अथवा अन्य कोई और। धान व गेहूं की जगह फसल विविधीकरण पर अगर जोर दिया जाए तो उन वैकल्पिक फसलों की उचित कीमत पर खरीद सुनिश्चित की जाए। किसानों को परंपरागत फसलों से हटाने और दूसरी फसलों की खेती का विकल्प तभी सफल होंगे जब उन्हें फायदा दिखेगा।

कृषि उपज से बायोफ्यूल तैयार करने की सरकार

की ताजा मुहिम तभी रंग लाएगी जब किसानों को उससे संबद्ध उद्योगों पर विश्वास जमेगा। यह विश्वास साल दर साल ही बढ़ सकता है। गन्ने से एथनाल बनाना काफी लाभप्रद होने लगा है। लेकिन मक्का और धान किसानों को उसकी उपज की खरीद को लेकर शुरुआती संशय बना रह सकता है।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत में उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में बहुप्रतीक्षित संरचनात्मक सुधार के इरादे का संकेत देता है?

सिराज हुसैन – पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव हैं, जुगल मोहापात्र –पूर्व केंद्रीय उर्वरक सचिव

अप्रैल के पहले पखवाड़े में जब चारों तरफ राज्य विधानसभाओं के चुनाव का शोर था, तभी डीएपी (डाय–अमोनियम फॉस्फेट) खाद की कीमत में जबरदस्त वृद्धि की खबर आई। प्रति 50 किलो बैग की कीमत 1,200 रुपए से 1,900 रुपए होने की खबर थी। ग्रामीण इलाकों में कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर कोहराम मचा रही थी। उपर से खाद के मूल्य में वृद्धि की आशंका खरीफ फसल को प्रभावित करने और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक संकट बढ़ाने वाली थी।

यूरिया के बाद डीएपी न केवल देश में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है, बल्कि किसान आमतौर पर इसे बुआई से ठीक पहले या बुआई के समय इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला उच्च फास्फोरस (पी) फसल की जड़ को मजबूत करने और उसके विकास में मदद करता है। अप्रत्याशित रूप से केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए डीएपी सब्सिडी में ''ऐतिहासिक'' 140 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार ने सब्सिडी को 500 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दिया, ताकि किसान उसी कीमत का भुगतान करते रहें और वे मूल्य वृद्धि के बोझ से दब न सकें।

हालांकि इस कदम का राजनीतिक और आर्थिक औचित्य समझा जा सकता है, लेकिन उन कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है, जिन्होंने घरेलू बाज़ार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि की। और यह भी कि क्या केंद्र सरकार का ये कदम भारत में उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में बहुप्रतीक्षित संरचनात्मक सुधार के इरादे का संकेत देता है।

इनका विश्लेषण करने से पहले, आइए कुछ बुनियादी बातों को स्पष्ट कर लेते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों की वार्षिक खपत लगभग 60 मिलियन टन है, जिसमें से 32–33 मिलियन टन (लगभग 55 प्रतिशत) यूरिया है। इसमें उच्च नाइट्रोजन (एन) पाया जाता है। उर्वरक के शेष किस्मों में डीएपी, फॉस्फेटिक उर्वरक, म्यूरिएट ऑफ पोटाश या एमओपी, उच्च पोटेशियम (के) उर्वरक और अन्य जटिल उर्वरक (एन, पी और के जैसे पोषक तत्वों के विभिन्न फॉर्म्यूलेशन के साथ) शामिल हैं। इनमें यूरिया से अलग, डीएपी देश में खपत होने वाले कुल रासायनिक उर्वरकों का लगभग 15 प्रतिशत यानी 9–10 मिलियन टन है।

घरेलू उत्पादन देश की यूरिया आवश्यकता का 75 प्रतिशत पूरा करता है, वहीं यह डीएपी जरूरत का केवल 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा करता है। डीएपी का वास्तविक उत्पादन और भी कम है। हालांकि, घरेलू स्थापित क्षमता 10 मिलियन टन बताया गया है, लेकिन वार्षिक उत्पादन लगभग 4–5 मिलियन टन ही है। इस प्रकार भारत अपनी डीएपी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर

IFOREST
Betting Big on Palm Oil
October 11, 2021

Betting Big on Palm Oil

है। महत्वपूर्ण रूप से डीएपी के घरेलू उत्पादन के लिए जरूरी सामान (अवयवों) के लिए भी भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड जो देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सिवाए राजस्थान के कुछ छोटे रॉक फॉस्फेट रिजर्व के। ऐसी स्थिति में, घरेलू बाजार में डीएपी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार से आने वाले इनपुट से भी तय होती है।

वैश्विक बाजार के रुझानों से यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली तिमाही में डीएपी की कीमत स्थिर थी। इसने जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 के बीच 78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसी अवधि के दौरान फॉस्फेटिक उर्वरक के लिए जरूरी फॉस्फोरिक एसिड और अन्य अवयवों के उत्पादक मूल्य सूचकांक (प्रोड्यूसरे प्राइस इंडेक्सः पीपीआई बिक्री की कीमत में औसत उतार–चढाव बताता है) में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई (देखें, डीएपी दर पर वैश्विक दबाव)। वैश्विक बाजारों की कीमतों में उतार–चढ़ाव ने घरेलू बाजार पर दबाव डाला। इस वजह से भारत के सबसे बड़े उर्वरक उत्पादकों में से एक, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) ने 8 अप्रैल को डीएपी मूल्य में 58 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की।

जैसी की उम्मीद थी, इस घोषणा का विरोध शुरू हो गया। विरोध के स्वर इतने मजबूत थे कि इसने केंद्र सरकार को अगले ही दिन कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने कोशिश की कि घरेलू उत्पादक कीमत वृद्धि पर पीछे हटे। लेकिन उर्वरक की कीमतों पर जैसे ये घरेलू उत्पादक पीछे नहीं हट सकते थे, वैसे ही केंद्र सरकार भी डीएपी के खुदरा मूल्य में 58 प्रतिशत की वृद्धि का जोखिम नहीं उठा सकती थी, जबकि इसकी कीमत पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार के सामने तीन समस्याएं थी।

पहली, डीएपी के खुदरा मूल्य में वृद्धि से देश में उर्वरक के असंतुलित उपयोग की समस्या और बढ़ जाती। देश में पहले से ही नाइट्रोजनयुक्त यूरिया की ओर झुकाव ज्यादा है। कई क्षेत्र में फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरक का इस्तेमाल अधिकतम सीमा के करीब पहुंच चुका है।

दूसरी, कीमतों में इस तरह की भारी बढ़ोतरी निश्चित रूप से 2021 की खरीफ फसल को प्रभावित करती। इसका मतलब यह है कि इस साल अच्छे मॉनसून के पूर्वानुमान के बावजूद एक आशाजनक कृषि क्षेत्र और किसानों की आय में वृद्धि की संभावना कम हो जाती। नतीजतन, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी धूमिल हो जाती।

तीसरी, देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान सितंबर 2020 में जल्दबाजी में बनाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। डीएपी की कीमत में भारी बढ़ोतरी ने पूरे भारत के किसानों में व्याप्त असंतोष को और बढ़ा दिया।

इस तरह, केंद्र सरकार के पास एकमात्र विकल्प यही बचा था कि सब्सिडी बढ़ाकर अनुमानित मूल्य वृद्धि को संतुलित किया जाए। सवाल है कि क्या ये कदम आने वाले समय में उर्वरक क्षेत्र में किसी व्यापक सुधार का संकेत देता है? शायद नहीं।

भारत में रासायनिक उर्वरकों की कीमतों को दो सब्सिडी व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक यूरिया के लिए और दूसरा फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों के लिए। यूरिया पहले से ही नियंत्रित उर्वरक है। इसके लिए निश्चित मूल्य, परिवर्तनीय सब्सिडी नीति लागू है। इस नीति के तहत केंद्र सरकार खुदरा मूल्य तय करती है और उत्पादकों को उनके मानक उत्पादन की अनुमानित लागत के हिसाब से सब्सिडी (जो प्लांट दर प्लांट अलग होते हैं) दी जाती है। 2010–11 से, अनियंत्रित फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की कीमतें पोषक तत्व

आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के तहत तय की जाती रही है। ऐसा उनकी खपत को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ताकि मिट्टी की संतुलित उर्वरता सुनिश्चित की जा सके। एनबीएस के तहत केंद्र सरकार पोषक तत्वों के प्रति किलोग्राम के हिसाब से तय सब्सिडी देती है।

घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को एनबीएस दर को देखते हुए यथोचित कीमत तय करने की अनुमति है, जो हर साल बदलती रहती है। केंद्र सरकार वैश्विक बाजार में कीमतों के रुझान को ध्यान में रखते हुए इसे तय करती है। हालांकि, यह देखा गया है कि डीएपी पर एनबीएस में पिछले तीन सालों में कमी आई है। 2011–12 में यह उच्चतम स्तर 19,763 रुपए प्रति मिलियन टन थी (2011–12 के दौरान आयातित डीएपी का औसत लैंडिंग मूल्य 512 यूएसडी था, जुलाई 2011 में यह उच्चतम स्तर 598 यूएसडी पर था), जो पिछले तीन सालों से करीब 10,000 रुपए पर है (देखें, घर में असहज)। सरकार ने एनबीएस के तहत अधिक सब्सिडी सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही दी है, जैसा कि 2011–12 के दौरान देखा गया था, जब वैश्विक कीमतें असामान्य रूप से अधिक थीं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि किसानों के लिए खुदरा मूल्य स्थिर रहे और मूल्य वृद्धि मामूली हो।

इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने पर हाल का निर्णय ऐतिहासिक है, जहां डीएपी पर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली एनबीएस उच्चतम है। लेकिन यह उस विजन को भी बताता है, जिसमें एनबीएस दर सिर्फ इसलिए बढ़ाई गई है, ताकि वैश्विक कीमतों की अस्थिरता से किसानों को बचाया जा सके। ध्यान देने की बात है कि 20 मई को डीएपी के लिए एनबीएस बढ़ाने की घोषणा के तुरंत बाद सरकार ने फास्फोरस के लिए एनबीएस दर भी बढ़ा दी (14.88 रुपए प्रति किलो से 45.32 रुपए प्रति किलो)। लेकिन अन्य पोषक तत्वों के लिए सब्सिडी की दर अपरिवर्तित रही। एमओपी के लिए एनबीएस दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी कीमतें भी बढ़ी हैं।

सरकार के अनुमान के अनुसार, डीएपी और अन्य जटिल उर्वरकों के लिए संशोधित सब्सिडी के कारण 2021–22 के दौरान 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय व्यय होगा (केवल खरीफ सीजन के लिए)। आगे यह माना जा सकता है कि रबी सीजन 2021–22 में भी डीएपी का खुदरा भाव ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यह बजटीय व्यय किस हद तक उर्वरकों के समग्र उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करेगा, स्पष्ट नहीं है। यह सर्वविदित है कि नियंत्रण और विनियमों के जटिल जाल के कारण विभिन्न उर्वरकों की कीमतें गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं, जिससे फसल के लिए पोषक तत्वों के उपयोग में असंतुलन आता है। 2014–15 से कई सुधारों पर विचार चल रहा है।

जैसे, यूरिया को एनबीएस के दायरे में लाना, मौजूदा इनपुट सब्सिडी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) नीति अपनाना आदि। विशेषज्ञों की लगातार सिफारिशों के बावजूद, राजनीतिक जटिलताओं ने अब तक इस तरह के सुधारों को रोके रखा है। नतीजतन, उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ जारी है, जो पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा, अक्षमता और असमानता को बढ़ावा देती है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक पर सब्सिडी में ऐतिहासिक वृद्धि ऐसे माहौल का संकेत देती है, जो आने वाले समय में अक्षमता और असमानता बढ़ाएगी और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करेगी।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं.
U(C)-92/2021-23

प्रकाशन की तिथि : 1 नवम्बर, 2021
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, नवम्बर 2021

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नाम: _____

सदस्यता संख्या: _____

वर्तमान पता: _____

_____

टेलीफोन नंबर: _____

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल: _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल दिनांक 30 नवंबर 2021 तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेल:– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोन:– 011–41402278

नोट: आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करें।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोन: 011–41402278, 9667673186, ई–मेल: ho@bks.org.in, वैबसाईट: www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।